न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 107/2015

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति अरोड़ा निवासी 27 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. दीदारसिंह
2. ग्यानसिंह
3. शिवेन्द्रसिंह
4. भजनसिंह

पुत्रान गुरदत्तसिंह जाति जटसिख साकिन 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. सहीराम
6. केसराराम
7. लिखमाराम
8. रामकरण
9. लाजपत

पुत्रान खेताराम जाति कुम्हार निवासी 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

10. आत्माराम पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. बृजमोहन पुत्र श्री गोपालदास जाति ब्राहम्ण निवासी 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, बाबत घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 15.09.2015

दिनांक :– 4-5-2017

– :: निर्णय ::–

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39/33 का मुरब्बा नम्बर 65, 66 व 67 की 10.309 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज कागजात माल है, जिसमें वादी राजेन्द्र कुमार के स्वामित्व में 0.632 हैक्टर कृषि भूमि है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी है परन्तु वादी उक्त कुल भूमि में से मुरब्बा नम्बर 66 के किला नम्बर 3/.126, 4/.253, 5/.253 कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। तथा पिछले काफी अर्सा से उक्त वर्णित अनुसार मौका पर वादी अपनें कब्जा काश्त वाली उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। तथा मौके पर उक्त रकबा पर वादी की फसल खड़ी है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादी अपनें हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होने के कारण वह ना तो सुधार कार्य करवा पा रहा है। तथा मामला लगान अदायगी, पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है, इसलिये वादी उक्त वर्णित कब्जानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवानें व अलग खाता कायम करवानें का अधिकारी है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अलग अलग खाता कायम करवानें के लिये कई बार आग्रह किया पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे दिनांक 15.07.2015 को उन्होनें सहमति से खाता विभाजन करनें से साफ इन्कार कर दिया यदि वाद कारण है।

उक्त सांझे खाते की भूमि में से मुरब्बा नम्बर 65 के कब्जा काश्त वाले काश्तकारान (प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4) नें अपना कब्जा की भूमि मुरब्बा नम्बर 65 की 6.325 हैक्टर में सत्मय नगर नामक कालोनी काटकर प्लाटस् के रूप में अपनें हिस्सा के रकबा का बेचान कर दिया गया है। जबकि वादी का शुरू से ही कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 66 के किला नम्बर 3/.126, 4/.253, 5/.253 कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि पर है। तथा वादी द्वारा किसी प्रकार से अपनी भूमि को बेचान नहीं किया गया है। तथा वादी अपनी भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज चला आ रहा है। मगर न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपनें निर्णय दिनांक 01.04.2013 को उक्त चक 2 ई. छोटी के मुरब्बा नम्बर 65 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर नहरी भूमि को अधिग्रहण कर बहक सरकार घोषित कर दिया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 371 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा वादी एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा के रकबा में अनुपातिक कटौती करते हुए वादी का हिस्सा 0.632 हैक्टर के स्थान पर 0.244 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी द्वारा ना तो भूमि का बेचान किया गया तथा ना ही किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है। जिसका पता चलनें पर वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपनें निर्णय दिनांक 25.05.2015 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.04.2013 निरस्त कर दिया गया निर्णय कर प्रति संलग्न है वर्तमान में वादी 0.632 हैक्टर रकबा का मालिक व काबिज है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 39/33 का मुरब्बा नम्बर 65, 66 व 67 की 10.309 हैटक्टर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 66 के किला नम्बर 3/.126, 4/.253, 5/.253 कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। तथा वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
2. खर्चा मुकद्मा दिलवाया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 11 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा जबाब वाद पत्र पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया किया कि प्रकरण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है, जिसमे राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बाद सुनवाई राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जाना आवेदित है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई गई वादी के साक्ष्य शपथ पत्र लिये गये वादी द्वारा अपनें शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबंन्दी प्रदर्श 1, तथा मौक पर कब्जा के सम्बंध में प्रदर्श 2 ता 5 करवाये जाकर शपथ पत्र में वाद के बिन्दूओं को दोहराया गया।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वाद पत्र के बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज है। अतः इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी की भूमि का किला वार खाता विभाजन किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की भूमि का किला वार खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 2 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 39/33 का मुरब्बा नम्बर 65, 66 व 67 की 10.309 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित करते हुए वाद पत्र प्राथमिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया गया था कि वादी की उक्त 0.632 हैक्टर भूमि के विभाजन हेतु वादी के हिस्सा व कब्जा के अनुसार मय नक्शा (रास्ता व खाला को दर्शाते हुए) वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 3149 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वकील वादी द्वारा सहमती जाहीर करते हुए विभाजन प्रस्ताव पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही भूमि का विभाजन किये जानें हेतु निवेदन किया।

–:: आदेश ::–

अतः तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनें के कारण तथा वादी की विभाजन प्रस्ताव पर सहमती के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 39/33 में वर्णित भूमि 10.309 हैक्टर भूमि में से वादी के हिस्सा की 0.632 हैक्टर भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति अरोड़ा निवासी 27 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	66	3/.126 4/.253, 5/.253	0.632 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी के हिस्सा की भूमि को अलग हिस्सा अनुसार दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04-05-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)